2023 INDIA

कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक 1624/29-1(1) (HRD) देहरादून, दिनांक 26 जून, 2023

कार्यालय ज्ञाप

मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित WP(S/B) 706/2022 वन क्षेत्राधिकारी संघ बनाम राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल के निर्णय दिनांक 23.03.2023 में द्वारा यह निर्देश दिये गये हैं कि WP(S/B) 145/2016 में पारित निर्णय 10.03.2017 का अनुपालन न किये जाने वाले अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की जाये। इस सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल के निर्णय दिनांक 10.03.2017 के अनुपालन में इस कार्यालय के वनादेश संख्या 111/1–12(7) दिनांक 29.06.2017 एवं वनादेश संख्या 112/1–12(7) दिनांक 29.06.2017 द्वारा समस्त उप वन क्षेत्राधिकारियों को क्षेत्रीय रेंजों से कार्यमुक्त कर वन क्षेत्राधिकारियों की तैनाती किये जाने हेतु निर्देश जारी किये गये थे।

इस कार्यालय के कार्यालय ज्ञाप वनादेश संख्या 45/29–1(1)HRDदिनांक 28 मार्च, 2023 द्वारा दिनांक 29.06. 2017 के पश्चात क्षेत्रीय रेंजों में उप वन क्षेत्राधिकारियों की तैनाती की प्रारम्भिक जांच हेतु निम्नानुसार दो सदस्य समिति गठित की गयी है।

1. डॉ धनंजय मोहन, प्रमुख वन संरक्षक/अध्यक्ष जैव विविधता बोर्ड, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. श्री बी0पी0 गुप्ता, अपर प्रमुख वन संरक्षक, प्रशासन, कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून।

समिति द्वारा अपनी प्रारम्भिक रिपोर्ट इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है।

उक्त रिट याचिका के क्रम में मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा दिनांक 15.06.2023 को पारित आदेश के क्रम में दिनांक 05.09.2013 से 10.03.2017 तक क्षेत्रीय राजियों/यूनिटों में उप वन क्षेत्राधिकारियों की तैनाती हेतु उत्तरदायी अधिकारियों के निर्धारण हेतु भी उपरोक्तानुसार गठित जांच समिति को जांच करने हेतु निर्देश दिये गये हैं।

अतः उक्त निर्देशों के क्रम में पूर्व से गठित समिति उक्त प्रकरण में दिनांक 05.09.2013 से 10.03.2017 तक क्षेत्रीय रेंजों/यूनिटो में उप वन क्षेत्राधिकारियों की तैनाती किये जाने के प्रकरणों तथा उत्तरदायी अधिकारियों के निर्धारण हेतु भी जांच करेगी।

उक्त समिति प्रकरण में प्रारम्भिक जांच कर 1 माह के भीतर इस कार्यालय को जांच आख्या प्रेषित करना सुनिश्चित करे ताकि मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा दिये गये निर्देशों के कम में अग्रेतर कार्यवाही की जा सके।

भवदीय

(अनूप मलिक)
प्रमुख वन संरक्षक (HoFF)

V.D. c.f. 28-6-2023

पत्रांक 1624 (1)/29-1 दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. डॉ धनंजय मोहन, प्रमुख वन संरक्षक/अध्यक्ष जैव विविधता बोर्ड, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. श्री बी0पी0 गुप्ता, अपर प्रमुख वन संरक्षक, प्रशासन, कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून।

5. समस्त मुख्य वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
6. समस्त वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
7. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण मूल्यांकन, आई.टी. एवं आधुनिकीकरण, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

(अनूप मलिक)
प्रमुख वन संरक्षक **(HoFF)**